उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 63/2021–22

सुफल सोरेन.....अपीलकर्त्ता

बनाम

जियाराम हेम्ब्रम.....उत्तरकारी

आदेश

25.03.2022

यह रे0मि0 अपील वाद, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–87/2005–06 में पारित आदेश दिनांक–14.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :–

उत्तरकारी को मौजा विजयपुर का प्रधान पी0ए0 वाद सं0–87/2005–06 में दिनांक–30.07.09 को नियुक्त किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 रिवीजन वाद सं0–51/09–10 दायर किया गया। इस रिवीजन वाद में तत्कालीन उपायुक्त, दुमका द्वारा दिनांक–24.04.16 को आदेश पारित किया गया जिसमें दिनांक–30.07.2009 के पारित आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पुर्नविचारार्थ आदेश दिया गया कि आम सहमति (General Acceptibility) के आधार पर प्रधान नियुक्त किया जाय। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पुनः वाद को प्रारंभ करते हुए दिनांक–14.09.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसमें 110 ग्रामीणों के द्वारा बैठक आयोजित कर उत्तरकारी को ग्राम प्रधान पर बने रहने का सहमति प्रदान किया गया। इस आधार पर उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के तहत् मौजा विजयपुर का ग्राम प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति को बरकरार रखा गया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोक किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) मौजा का गेंजर प्रधान निमाई सोरेन थे। इसके पश्चात् सुफल हेम्ब्रम को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5

के अन्तर्गत मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति को माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल भागलपुर के ए0पी0 रे0मि0 रिवीजन सं0–141/81–82 में पारित आदेश दिनांक–10.05.84 द्वारा रद्द किया गया है।

(2) उत्तरकारी पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत है।

ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) उपायुक्त, दुमका के रे0मि0 रिवीजन वाद सं0–51/2009–10 में पारित आदेश दिनांक–24.11.2015 के आलोक में प्रधान पद पर आम सहमति के आधार पर उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा गया है।

(2) उत्तरकारी द्वारा पारा शिक्षक कार्य को वर्ष 2016 से छोड़ दिया गया है। वर्त्तमान में वह कार्य नहीं कर रहा है। इनके ओर से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखित प्रमाण दाखिल किया गया है।

अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

उपायुक्त, दुमका के रे0मि0 रिवीजन वाद सं0–51/2009–10 में पारित आदेश दिनांक–24.11.2015 के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, दुमका से उनके पत्रांक–816/रा0, दिनांक–31.08.2021 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पक्षकारों को नोटिश निर्गत किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया कि गेंजर प्रधान के वाद से कभी भी पट्टा प्रधान नहीं रहा जिस कारण मौजा में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–05 के तहत् सुशील हेम्ब्रम पिता झादे हेम्ब्रम को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तरकारी पट्टाधारी प्रधान सुशील हेम्ब्रम का पोता है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि

पूर्व प्रधान सुशीला हेम्ब्रम को प्रधानी पद से पदच्यूत किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कागजात समर्पित नहीं किया गया। उत्तरकारी को 110 ग्रामीणों के द्वारा बैठक आयोजित कर प्रधान पद पर बने रहने हेतु सहमति प्रदान किया गया। फलस्वरूप उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा गया है।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

1. Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature –Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

   Babulal Hembrom Vrs Bihar 1998 (1) PLJR 43 : 1998 (1) All PLR 227 (Pat) :-

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी को धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, किन्तु आवेदक द्वारा दाखिल माननीय आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर के एस0पी0 रे0मि0 रिवीजन नं0–141/1981–82 आदेश दिनांक–10.05.84 की सच्ची प्रति की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सुशील हेम्ब्रम की नियुक्ति को माननीय आयुक्त द्वारा विलोपित किया गया है। सुशील हेम्ब्रम उत्तरकारी के दादा है, जिस आधार पर वह संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त हुए है। माननीय आयुक्त के आदेश के आलोक में उत्तरकारी का दावा धारा–6 के अन्तर्गत नहीं बनता है।

दूसरी ओर आवेदक का यह भी दावा है, वह पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत है। उत्तरकारी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यपक के द्वारा निर्गत प्रतिवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि "उत्तरकारी मध्य विद्यालय विजयपुर में पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। यह शिक्षक नवम्बर 2016 से विद्यालय के सभी प्रकार

के गति विधि से स्वेच्छा से अनुपस्थित है," किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उत्तरकारी पारा शिक्षक के पद से त्याग पत्र दे चुका है। चूँकि पारा शिक्षक एक पूर्णकालिक कार्य है तथा उक्त के लिए अलग से "Consideration"/ मानदेय पूर्व निर्धारित है। प्रधान का कर्तव्य एवं अधिकार के संदर्भ में उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना, **Babulal Hembrom Vrs Bihar 1998 (1) PLJR 43 : 1998 (1) All PLR 227 (Pat)** :- में आदेश पारित किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

Santhal Paraganas Tenancy Manual, 1911 (page 291 to 299)-Hereditary right in appointment- Affirmation by authority as village headman- Resident in village necessary to discharge his duties-Short visit by headman illegal-Appointment on hereditary right of village headman illegal-Direction to initiate proceeding for appointment of village headman-From a perusal of the headman's duties it is self-evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on Government postings and came to the village only intermittently. The headman has, in fact, a long list of duties which can be duty discharged only by a person living the concerned village. Thus, the results of his appointment would be that he would be enjoying the social status and prestige and he and his family members would be deriving the many benefits attached to that office but he would not be discharging most of the duties of the headman. In the light of the above discussion, the Court was of the considered view that only a person regularly residing in the village can be considered to be suitable candidate for the office of the headman

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरकारी पूर्णकालिक प्रधान के रूप में सेवा नहीं दे पायेंगे।

ऐसी स्थिति में माननीय आयुक्त द्वारा सुशील हेम्ब्रम की नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में पारित आदेश एवं उत्तरकारी के

पारा शिक्षक के पद पर कार्य करने के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अंतिम निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय आयुक्त द्वारा सुशील हेम्ब्रम की नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में पारित आदेश एवं उत्तरकारी के पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत होने के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

1288 dt 2/6/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:13:24 +05:30
Location: 169.254.227.244